प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

:: निर्णय :: दिनांक :– 13.06.23

संक्षेप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जरिये प्रार्थीगण तहसीलदार राहूवास जिला दौसा विरूद्ध अप्रार्थीगण एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 210 रकबा 3.7939 वाकै ग्राम जीतपुर तहसील राहूवास अप्रार्थीगण की खातेदारी में कृषि भूमि दर्ज है। जिस पर प्रार्थीगणों को भू–सुधार एवं कृषि प्रयोजन किये जाने के विधि में निहित प्रावधानों के तहत अधिकार प्राप्त है।

आगे प्रार्थी ने कथन किये है कि उक्त आराजीयात् के खातेदारान् कल्याण पुत्र जन्सी हिस्सा 1/36, कैलाश पुत्र भगवान हिस्सा 1/432 , गंगाधर पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/216, गोविन्दा पुत्र भगवान हिस्सा 1/432, दिनेश पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/864, श्रीमती पांची पुत्री भगवान हिस्सा 1/432, भागोती पुत्री गोविन्दा हिस्सा 1/18, मीठालाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/432, रघुनाथ पुत्र भागीराथ हिस्सा 1/36, राजाराम पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/216, श्रीमती लाली पुत्री भगवान हिस्सा 1/432, श्रीमती सुनिता पुत्री भगवान हिस्सा 1/864 व हीरा पत्नी जगदीश हिस्सा 1/36 की भूमि में से रघुनाथ पुत्र भागीरथ, रामनिवास, भगवान पुत्र श्रवण, कल्याण पुत्र जन्सी , श्रीमती गोविन्दी बेवा रामकुवार समस्त जाति मीना निवासी जीतपुर द्वारा राजकीय माध्यमिक विधालय कल्लावास तत्कालीन तहसील लालसोट के पक्ष में दिनांक 06.08.1982 को स्कूल के लिये भवन निर्माण हेतु दान कर कब्जा प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विधालय कल्लावास को संभला दिया था। तब से ही उक्त खातेदारान् के हिस्से की भूमि पर विधालय का कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में उक्त भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न हो रहा है। आगे प्रार्थी ने कथन किये है कि राजकीय विधालय जो अब राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय में क्रमोन्नत है अपने पक्ष में उक्त सहखातेदारान् द्वारा दान की गई भूमि विधार्थियों के खेलकूद, विधालय द्वारा संचालित साहित्यक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विगत 40 वर्षो से उपयोग मे ले रहे है। विधालय के पक्ष में दान की हुई भूमि जो दानकर्ता सहखातेदारान् के हिस्से में मनबट से विभाजित थी को नजरी मानचित्र "अ" बिन्दू से दर्शित किया है।

इस प्रकार कथन कर प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 210 रकबा 3.7939 वाकै ग्राम जीतपुर तहसील राहूवास जिला दौसा में से दानकर्तागण कल्याण पुत्र जन्सी हिस्सा 1/36, रकबा 0.1053 है0, कैलाश पुत्र भगवान हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, गंगाधर पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/216 रकबा 0.0175 है0, गोविन्दा पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, दिनेश पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/864 रकबा 0.0043 है0, श्रीमती पांची पुत्री भगवान हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, भागोती पुत्री गोविन्दा हिस्सा 1/18 रकबा 0.2107 है0, मीठालाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, रघुनाथ पुत्र भागीरथ हिस्सा 1/36 रकबा 0.1053 है0 राजाराम पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/216 रकबा 0.0175 है0, श्रीमती लाली पुत्री भगवानसहाय हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, श्रीमती सुनिता पुत्री भगवानसहाय हिस्सा 1/864

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

रकबा 0.0043 है0 व हीरा पत्नी जगदीश हिस्सा 1/36 रकबा 0.1053 है0 कुल रकबा 0.6323 है0 दान की गई भूमि को अप्रार्थीगणों को भू–सुधार के अतिरिक्त उक्त कृषि भूमि का अन्य उपयोग/उपभोग/परिवर्तन इत्यादि किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है जो अप्रार्थीगण द्वारा आदिनांक प्राप्त नहीं की है, के कारण खातेदारी अंकन से विलोपित किया जाकर राजकीय सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तामीले लौटकर प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। अप्रार्थीगण की सम्यक् तामीले हुई है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं आये। अतः बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने पर प्रक्रिया संहिता के नियमों अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में तहसीलदार राहूवास/प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 (चौसाला) जमाबन्दी 2078, नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 290 जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कल्लावास को खातेदारी भूमि में दर्शित किया है, नजरी नक्शा ग्राम जीतपुर खसरा नम्बर 210 जिसमें विधालय भवन को बिन्दू ''अ'' से दर्शित किया है। दान–पत्र दिनांक 06.08. 1982 पेश किये गये है। तदुपरान्त पत्रवाली को अन्तिम निर्णय/बहस हेतु नियत किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार राहूवास का कहना है कि अप्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 210 वाकै ग्राम जीतपुर तहसील राहूवास स्थित खातेदारी की कृषि भूमि का मौके पर कृषि से भिन्न कार्यो में उपयोग किया जा रहा है जो कृषि भूमि का स्वरूप बिगाडने एवं कृषि भूमि का कृषि से भिन्न उपयोग/उपभोग बिना किसी सक्षम स्वीकृति से किये जाने की श्रेणी में आता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 क के प्रावधानो के तहत बेदखल योग्य है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन परिक्षण किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 (चौसाला) जमाबन्दी 2078 के अवलोकन से स्पष्ट है जिस भूमि को इस प्रकरण में प्रश्नगत किया है वह खातेदारी की कृषि भूमि है। नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 290 एवं नजरी नक्शा ग्राम जीतपुर खसरा नम्बर 210 जिसमें विधालय भवन को बिन्दू ''अ'' से दर्शित किया है, से यह तथ्य साबित होते है कि कृषि भूमि पर विधालय का संचालन हो रहा है जो कृषि भूमि का अकृषि उपयोग की श्रेणी में आता है। दान–पत्र दिनांक 06.08.1982 का अवलोकन किया गया। दान–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि रघुनाथ पुत्र भागीरथ, रामनिवास, भगवान पुत्र श्रवण, कल्याण पुत्र जन्सी , श्रीमती गोविन्दी गेवा रामकुवार समस्त जाति मीना निवासी जीतपुर द्वारा राजकीय माध्यमिक विधालय कल्लावास तत्कालीन तहसील लालसोट के पक्ष में दिनांक 06.08.1982 को स्कूल के लिये भवन निर्माण हेतु दान–पत्र किया है। नजरी नक्शा तथा तहसीलदार राहूवास के द्वारा प्रस्तत तथ्यों से यहां यह बात स्पष्ट है कि दान–पत्र वाली भूमि पर स्कूल का कब्जा है जिसमें स्कूल संचालित हो रहा है। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जिस कृषि भूमि पर बिना अनुमति के या बिना सक्षम स्वीकृति के स्कूल का संचालन हो रहा है, गैर कृषि कार्य की ओर इंगित करता है। यह चाहिए था कि दान–पत्र के बाद भूमि नियमानुसार स्कूल भवन एवं खेल–मैदान व अन्य क्रिया–कलापों हेतु दर्ज होनी थी। किन्तु यहा ऐसा नहीं हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 क के प्रावधानो के तहत बेदखल योग्य है

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

पत्रावली में अपने बचाव में अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है ना ही उक्त कार्यवाही में उपस्थित रहे है। अत उक्त विवेचना एवं दस्तावेजो के आधार न्यायालय के विनम्र मत में वादग्रस्त आराजीयात् आराजी खसरा नम्बर 210 रकबा 3.7939 वाकै ग्राम जीतपुर तहसील राहूवास जिला दौसा में से दानकर्तागण कल्याण पुत्र जन्सी हिस्सा 1/36, रकबा 0.1053 है0, कैलाश पुत्र भगवान हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, गंगाधर पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/216 रकबा 0.0175 है0, गोविन्दा पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, दिनेश पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/864 रकबा 0.0043 है0, श्रीमती पांची पुत्री भगवान हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, भागोती पुत्री गोविन्दा हिस्सा 1/18 रकबा 0.2107 है0, मीठालाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, रघुनाथ पुत्र भागीरथ हिस्सा 1/36 रकबा 0.1053 है0 राजाराम पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/216 रकबा 0.0175 है0, श्रीमती लाली पुत्री भगवानसहाय हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, श्रीमती सुनिता पुत्री भगवानसहाय हिस्सा 1/864 रकबा 0.0043 है0 व हीरा पत्नी जगदीश हिस्सा 1/36 रकबा 0.1053 है0 कुल रकबा 0.6323 है0 भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाना सिद्ध पाया गया है।

इस संबंध में विधि का अध्ययन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अनुसार अहितकर कार्य या शर्त–भंग के लिए भू–धारक के आवेदन पर अभिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा। अहितकर कार्य के संबध में कृषि भूमि पर वृक्षारोपण एवं नागल बनाना तथा कुए की मरम्मत के लिए ईटे बनाना को संरक्षण प्रदान किया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कार्य अहितकर की श्रेणी में आते है। प्रस्तुत प्रकरण में स्कूल भवन का निर्माण कृषि भूमि के शर्त–भंग की श्रेणी में आती है। विधि की भी मंशा है कि बिना सक्षम स्वीकृति के शर्त–भंग या अहितकर कार्य किये जाने पर अभिधारी को उसकी भूमि से बेदखल किया जावे।

:: आदेश ::

अतः उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधित प्रावधानों के सम्यक् पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजीयात् खसरा नम्बर 210 रकबा 3.7939 वाकै ग्राम जीतपुर तहसील राहूवास जिला दौसा में से नक्शा ट्रेस में बिन्दू ''अ'' में दर्शाई गई दानकर्तागण कल्याण पुत्र जन्सी (मृतक) के वारिसान् के हिस्सा 1/36, रकबा 0.1053 है0, कैलाश पुत्र भगवान हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, गंगाधर पुत्र रामनिवास

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट/ रामगढ़ पचवारा (दौसा)

हिस्सा 1/216 रकबा 0.0175 है0, गोविन्दा पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, दिनेश पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/864 रकबा 0.0043 है0, श्रीमती पांची पुत्री भगवान हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, भागोती पुत्री गोविन्दी हिस्सा 1/18 रकबा 0.2107 है0, मीठालाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, रधुनाथ पुत्र भागीरथ हिस्सा 1/36 रकबा 0.1053 है0, राजाराम पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/216 रकबा 0.0175 है0, श्रीमती लाली पुत्री भगवानसहाय हिस्सा 1/432 रकबा 0.0087 है0, श्रीमती सुनिता पुत्री भगवानसहाय हिस्सा 1/864 रकबा 0.0043 है0 व हीरा पत्नी जगदीश हिस्सा 1/36 रकबा 0.1053 है0 कुल रकबा 0.6323 है0 भूमि वाकै ग्राम जीतपुर तहसील राहूवास को खातेदारी बजाय सिवायचक घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस एवं मौका पर्चा निर्णय का पार्ट रहेगे। तहसीलदार राहुवास को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक अंकन कर बेदखली की कार्यवाही की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में आज दिनांक 13.06.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

मोहरसिंह मीना (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा दौसा